

असाधारण EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 183] No. 183] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2011/कार्तिक 23, 1933 DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2011/KARTIKA 23, 1933

[रा.स.स.के.दि. सं. 196

[N.C.T.D. No. 196

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 नवम्बर, 2011

फा. सं. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./पार्ट फाइल/डी.सी./1589.—श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 42 सप्ताह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दभ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमश: जिला उत्तर-पश्चिम तथा जिला दक्षिण में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी का कार्यभार 02-04-2012 से 30-04-2012 तक सभालेंगे। अत: :—

फा. सं. 7/1/99/रा. स्थ./स.र.(1)— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इन में से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

फा. सं. 7/1/99/रा. स्थ./स.र.(ii)— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03)की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इन में से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. एफ 7/1/99/रा. स्थ./स.र.(iii).— दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. सं. (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. सं. (परिवीक्षार्थी) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शिक्तयों जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

फा. सं. 7/1/99/रा. स्थ./स.र.(iv).— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शिवतयों तथा कार्यों करने अथवा अधिरोधित करने के लिये श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) को उस समय तक कलैक्टर की शिवतयों को जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

फा. सं. 7/1/99/रा. स्थ./स.र.(v).— दिल्ली भूमि सुधार अधिनयम, 1954 के अधिनयम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19ए के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनयम की अनुसूची । परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. से.(परिवीक्षार्थी)और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

फा. सं. 7/1/99/रा. स्थ./स.र.(vi).— पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)के रूप में जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

फा. सं. 7/1/99/रा. स्थ./स.र.(vii)—िदिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये श्री जितेन्द्र यादव, भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा. प्रा. से. (परिवीक्षार्थी) को जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव

# REVENUE DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 14th November, 2011

F. No. 7(1)/99/Rev. Estt./S.R./DC/Part file/1589.—Consequent upon joining in Revenue Department for 42 weeks district training programme Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer) and Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer) shall perform various functions as Sub-Divisional Magistrate in District North-West and District South respectively w.e.f. 2-4-2012 to 30-4-2012. Now, therefore,

No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.(i).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon (1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer), (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer), the power of Assistant Collector; 1st Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.(ii).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 read with Section 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Shri Jitender Yadav. IAS (Probationer), (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer) as Assistant Collector, 1st Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.(iii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 read with Section 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints (1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer), (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer) as Assistant Collector, 1st Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.(iv).—In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No.2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer), (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer) as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.(v).—In exercise of powers conferred by Clause 19A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers (1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer), (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer) as Assistant Collector, 1st class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.(vi).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints (1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer), (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer) as Settlement Officer (Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.(vii).— In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Section 2 of the Delhi Land Holding (Ceiling) Act, 1960 (F. No. 24 of 1960), the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize (1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer), (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer) to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said Act are applicable so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

### प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 14 नवम्बर, 2011

**फा. सं. आईआईआईटीडी ⁄ जनरल काउंसिल ⁄ अधिसूचना ⁄ 2011 ⁄ 1543-56.**— इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल कुलाधिपति की अध्यक्षता वाली निम्नलिखित सदस्यों की महापरिषद् गठित करते हैं :—

- सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
- 2. सभापित, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद् रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
- 3. निदेशक, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका साइंस फाउण्डेशन
- 4. अध्यक्ष, एन. ए. एस. एस. सी. ओ. एम.
- 5. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
- 6. अध्यक्ष, बी.ओ.जी., आई आई. आई. टी., दिल्ली
- प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार
- 8. निदेशक, इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

महापरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष होगा।

मनजीतराय अरोड़ा, अतिरिक्त सचिव

### DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

#### NOTIFICATION

Delhi, the 14th November, 2011

F. No. IIITD/General Council/ Notification/2011/1543-56.— In exercise of powers conferred under Section 15 of Indraparstha Institute of Information Technology Act, 2007, the Lt. Governor, Delhi is pleased to Constitute a General Council of the Institute to be headed by the Chancellor and comprising of the following members:—:

- 1. Secretary, Department of Science & Technology, Government of India
- 2. Chairman, Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Government of India
- 3. Director, Indo-U.S. Science Foundation
- 4. President, NASSCOM
- 5. Director General, National Informatics Centre
- 6. Chairman, BOG, IIIT, Delhi
- 7. Pr. Secretary/Secretary, Department of Training & Technical Education, GNCT of Delhi
- 8. Director, IIIT, Delhi

The term of the members of the General Council will be three years w.e.f. the date of notification.

MANJIT RAI ARORA, Addl. Secy.